

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

संख्या : एफई.5(35)/2016/7 सीपीसी/डीडीए/387

दिनांक : 17/08/2017

एफ एंड ई परिपत्र संख्या 17/2017

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार कर्मचारियों को यातायात भत्ता (टी.ए.) की स्वीकृति के संबंध में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी ओ.एम. संख्या 21/5/2017-ई. II(बी) दिनांक 07/07/2017 एवं 02/08/2017 और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के संदर्भ में निचले पद तथा अगले वेतन वृद्धि की तिथि (डीएनआई) से वेतन निर्धारण की पद्धति, अगले वेतन वृद्धि की तिथि से पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के विकल्प की उपलब्धता यदि विकल्प दिया गया है, के संबंध में अवर सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ओ.एम. संख्या 13/02/2017 ईस्ट (पे-I) दिनांक 27/07/2017 के संबंध में यह सूचित करने का निदेश प्राप्त हुआ है कि ये आदेश दिल्ली विकास प्राधिकरण में भी समान रूप से लागू होंगे।

यह परिपत्र उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(कल्पना मोगिया)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त एवं व्यय)

प्रतिलिपि :

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्य अधिकारी को उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ।
3. सभी प्रधान आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा.।
4. सभी आयुक्त/आयुक्त एवं सचिव, मुख्य अभियंताओं, मुख्य वास्तुविद, सभी विभागाध्यक्षों।
5. वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक कार्मिक I एवं II/भूमि लागत निर्धारण, वित्त/चिकित्सा एवं पेंशन/लेखा परीक्षा।
6. उप मुख्य लेखाधिकारी, सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी (खेल)/वेतन एवं लेखा अधिकारी (ईडब्ल्यू)/लेखाधिकारी (पीई)।
7. उप निदेशक (गोपनीय रिपोर्ट)।
8. गार्ड फाइल।